

सं. ए.बी. 14017/61/2008-स्था (आर.आर.)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19th मार्च, 2010

कार्यालय जापन

विषय : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों - वेतनमानों का संशोधन - सेवा नियमावली/भर्ती नियमावली का संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 24 मार्च, 2009 के समसंख्यक का.जा. का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है ।

2. उपर्युक्त का.जा. के अनुबंध में, निम्नलिखित ग्रेजों से संबंधित प्रविष्टियों को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

<u>क्रम सं.</u>	<u>से</u>	<u>तक</u>	<u>न्यूनतम अर्हक सेवा</u>
1.	1800	1900	3 वर्ष
25.	10000	एच.ए.जी.	3 वर्ष
26.	एच.ए.जी.	एच.ए.जी.+वेतनमान	1 वर्ष
27.	एच.ए.जी.	शीर्ष वेतनमान	2 वर्ष

ज. ए. वैद्यनाथन
(जे.ए.वैद्यनाथन)

भारत सरकार के उप सचिव
दूरभाष सं. : 23092112

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि :

1. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
2. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध कार्यालय ।
4. स्थापना अधिकारी और सचिव, एसीसी (10 प्रतियां) ।
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी और अनुभाग ।
6. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
7. राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) के सभी कर्मचारी सदस्य ।
8. विभागीय परिषद (जे.सी.एम.) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी कर्मचारी सदस्य ।
9. स्थापना (आर.आर. प्रभाग) (50 प्रतियां) ।
10. एन.आई.सी., नार्थ ब्लॉक को वेबसाइट में डालने के लिए ।

जे.ए.वैद्यनाथन

(जे.ए.वैद्यनाथन)

भारत सरकार के उप सचिव

दूरभाष सं. : 23092112